वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No.4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद विधि द्वारा तय करे, निम्निलिखित के लिए गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पिनयों / निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पिनयों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (iii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2023, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2023 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹580246.56 करोड़ और ₹314293.80 करोड़ थीं। The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2023 were ₹580246.56 crores and ₹314293.80 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:— The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT-Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के [:] मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा प	ा न	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invol duri the y	ng	Outstanding at the end of the year	Guarai Commi or Fo	ssion	Other material details
	year	3.20 year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	1210 y 002	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 ड़ रुपए में) of rupees)
कृषि और किसान कल्याण मं MINISTRY OF AGRICULT AND FARMERS WELFAF कृषि और किसान कल्याण वि	TURE RE									
Department of Agriculture and Farmers Welfare वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग	40500.00 (2)	^40500.00 ##(2)	_	_	_	_	40500.00 (2)	@—	@—	_
Department of Financial Services	48319.50 (74)	46744.65 (74)	*1574.85	35152.10 (62)	_	_	13167.40 (12)	83.41	^^77.06	_
राजस्व विभाग Department of Revenue	0.01 (1)	0.01 (1)	_	_	_	_	0.01 (1)	_	_	_

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	9495.00 (1)	9495.00 (1)	_	3495.00	_	_	6000.00 (1)	**	**	_
पाणिज्य एवं उद्याग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE A	ND INDUS	TD V								
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्याप		IKI								
(डीपीआईआईटी)	I C PM III II									
Department for										
Promotion of Industry	1346.15	597.31	748.84	_	_	_	1346.15	5.97	5.97	_
and Internal Trade (DPIIT)	(1)	(1)					(1)			
रसायन और उर्वरक मंत्रालय										
MINISTRY OF CHEMICALS										
ANDFERTILISERS										
औषध विभाग										
Department of										
Pharmaceuticals	1195.83	^^^1180.11	#15.72	_	_	_	1195.83	97.53	\$	_
	(4)	(4)					(4)			
		۲ ۱ ۵	. 0		0: 0	1.0	. ^ ^			

इंडियन ड्रग्स फार्माक्यूटिकल्स लि. द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान गारंटी शुल्क / कमीशन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी रुग्ण है।

No Guarantee fee/Commission was paid during 2022-23 by Indian Drugs Pharmaceuticals Ltd as the Company is Sick. उ.खा.सा.वि. मंत्रालय ने अपने दिनांक 01.04.2022 पत्र सं. एफ सं. 22011/1/2017—एफसी II/III के तहत दिनांक 01.04.2022 से आगे की अवधि के लिए फूड क्रेडिट के हेतु ₹6,000 करोड आहरण की जमा सीमा पाने के लिए एफसीआई के पक्ष में एकल डिफाल्ट सरकारी गारंटी के विस्तार की सूचना दी।
Ministry of CAF&D vide its letter No. F.No. 22011/1/2017-FC.II/III dated 01.04.2022 has conveyed, "Extension of the single default Government Guarantee in favour of FCI for availing cash limit of ₹6,000 crore for food credit drawn for period of one year beyond 01.04.2022".

आई एफ सी एल की सहायक कंपनी आई आई एफ सी (यूके) के गारंटी शुल्क की प्राप्ति के संबंध में विनिमय दर परिवर्तन के कारण

Due to exchange rate variation towards receipts of Guarantee fees in respect of IIFC(UK) subsidary of IIFCL.

यह राशि उपार्जित ब्याज / विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।

Amount is due to interest accrued/exchange rate fluctuation.

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया गया। Guarantee fee has been waived off by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

गारन्टी की मूल राशि पर व्यय से संबंधिंत है।

Relates to Interest on Principal amount of Guarantee. पिछले वर्ष के अंतिम शेष तथा मौजूदा वर्ष के आरंभिक शेष में गारंटी की राशि में अंतर 31 मार्च, 2022 को गारंटी की आंशिक राशि का विलोपन और 31 अप्रैल 2022 को नई गारंटी के अनमोदन के कारण है।

Difference in amount of Guarantee in closing balance of previous year and opening balance of current year is due to deletion of part amount of Guarantee on 31st March 2022 & approval of fresh guarantee on 1st April 2022.

पिछले वर्ष के अंतिम शेष तथा मौजूदा वर्ष के आरंभिक शेष में गारंटियों की संख्या में अंतर वर्ष के दौरान गारंटी समाप्त किए जाने के कारण है।

There is a difference in number of Guarantees in closing balance of previous year and opening balance of current year due to discontinuation of Guarantee during the

^^^ 2020-21 और 2021-22 के गत वर्षों में वर्णित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण वर्ष की शुरूआत में बकाया राशि ₹1152.60 करोड़ से बढ़कर ₹1180.11 करोड़ हो गई। यह वृद्धि गारंटी की मल राशि पर ब्याज के कारण है।

Outstanding at the begining of the year has been revised from ₹1152.60 crore to ₹1180.11 crore due to change in figures of additions in previous years of 2020-21 & 2021-22. These additions is due to interest on principal amount of Guarantee.

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा प	गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Involution Involution	ng /ear	Outstanding at the end of the year	Guarai Commi or Fo	ssion	Other material details
	year			than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 ड़ रुपए में) of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / ऋणों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां :-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग Department of Chemical &

Petrochemical — — — — — — *8.50

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग Department of Financial Services विद्युत मंत्रालय	3034.50 (1)	_	3034.50 (1)		_	_	3034.50 (1)	1.47	^1.49	— एसएलआर बांड
MINISTRY OF POWER	7000.00	7000.00	_	_	_	_	7000.00	70.00	#140.00	SLR Bond
\ \ \\	(2)	(2)					(2)			
उपभोक्ता मामले, खाद्य और स	विजनिक									
वितरण मंत्रालय										
MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND	37000.00	37000.00	_	300.00	_	_	36700.00	_	_	_
PUBLIC DISTRIBUTION	(5)	(5)					(5)			
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मं MINISTRY OF COMMUNIO दूरसंचार विभाग Department of										
Telecommunications	37608.67	22513.97	15094.70	1005.00	_	_	36603.67	**221.19	@211.50	_
	(12)	(10)	(2)	(1)			(11)			

[@] निदेशक (ए∕सीएस-II) द्वारा सूचित किए अनुसार, वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹85.00 करोड़ की राशि अग्रिम रूप से 2022-23 में लेखाबद्ध हो गई।

As communicated by Director (A/cs-II), ₹85.00 crore pertaining to the year 2023-24 were accounted in 2022-23.

^{*} हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) से प्राप्त गारंटी शुल्क। वर्ष 2013-14 के दौरान जारी की गई और वर्ष 2017-18 के दौान मोचित ₹250 करोड़ पर देय भारत सरकार गारंटी शुल्क। वर्ष 2020-21 के दौरान 8.50 करोड़ रुपए का गारंटी शुल्क अदा किया गया। कंपनी ने प्राप्ति योग्य ₹8.50 करोड़ के दंडित गारंटी शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया है।

^{*} Guarantee fee received from Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOCL). GOI Guarantee fee payable on ₹250.00 crore Guarantee issued during 2013-14 and redeemed during 2017-18. Guarantee fee ₹8.50 crore paid during the year 2020-21. Company has requested waiver of the penal Guarantee fee of ₹8.50 crore receivable.

^{**} प्राप्ति योग्य ₹221.19 करोड़ की राशि में से, एमटीएनएल द्वारा ₹94.69 करोड़ जमा नहीं कराए थे। परन्तु इसके स्थान पर इसे एमटीएनएल के दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य देय के तहत गैर नकद लेनदेन के रुप में अदा ⁄ समायोजित दिया गया था।

^{**} Out of ₹ 221.19 crore receivable, ₹ 94.69 crore was not deposited by MTNL. But instead treated as paid/adjusted as a non-cash transaction against dues of MTNL recoverable from DoT.

[#] वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित डीवीसी का अग्रिम गारंटी शुल्क ₹70.00 करोड शामिल हैं।

[#] Includes advance Guarantee fee of DVC of ₹70.00 crore pertaining to the Financial Year 2023-24.

[^] आईआईएफसीएल की सहायक कंपनी आईआईएफसी (युके) के संबंध में गारंटी शूल्क की प्राप्तियों के लिए विनिमय दर परिवर्तन के कारण।

[^] Due to exchange rate variation towards receipts of Guarantee fees in respect of IIFC(UK) subsidary of IIFCL.

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के मांगी रागि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमी१ अथवा प	ग न	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than	Invo duri the y उन्मोचित	ng	Outstanding at the end of the year	Guarai Commi or Fo	ssion	Other material details
	·			invoked during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 ड़ रुपए में) of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियाँ :-
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVILAVIATION	22548.84 (6)	22547.25 (6)	1.59	7123.83 (2)	_	_	15425.01 (4)	2.01	2.01	_
कोयला मंत्रालय										
MINISTRY OF COAL	615.48	578.37	**37.11	*35.56		_	579.92	5.03	5.03	_
_	(3)	(3)					(3)			
विद्युत मंत्रालय										
MINISTRY OF POWER	39862.03	36697.18	3164.85	3394.92	_	_	36467.11	445.39	445.39	_
	(41)	@ (41)					(41)			

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	16846.77 (5)	13056.95 (5)	3789.82	4408.79 (1)	_	_	12437.98 (4)	61.57	^^85.45	_
वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services	210605.12 (364)	188798.89 (216)	21806.23 (148)	^138372.92 (39)	4638.27	_	67593.93 (325)	97.87	^99.01	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम् राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ति MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENT NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORA' LIMITED (NSIC)	न्निमिटेड (एनएसआईर ERPRISES 51.38 (3)	सी) 48.35 (3)	3.03	3.29	_	_	48.09 (3)	0.19	0.19	_

[^] प्राप्ति योग्य और प्राप्त गारंटी शुल्क के बीच अंतर नाबार्ड से गारंटी शुल्क के भुगतान में देरी के लिए दंड के रूप में ₹1.14 करोड़ की प्राप्ति के कारण है।

[^] Difference between Guarantee Fee receivable and received is due to receipt of ₹1.14 crore from NABARD as penalty for delay in paymnt of Guarantee fee.

^{*} यह राशि गारंटियों / पुनः अदायगी / विनिमय दर परिवर्तन के लोपन के कारण है।

^{*} Amount is due to deletion of Guarantees/repayment/exchange rate fluctuation.

^{**} विनिमय दर परिवर्तन शामिल है।

^{**} Includes exchange rate variation.

यह राशि गारंटियों/अदायगी/विनिमय दर परिवर्तन को हटाए जाने की वजह से है।

^{^^} Amount is due to deletion of Guarantees/repayment/exchange rate fluctuation.

^{^^} प्राप्ति योग्य तथा प्राप्त हुए गारंटी शुल्क के बीच अंतर अमरीकी डालर \$ को भारतीय रुपए में बदले जोन के कारण है।

^{^^^} Difference between Guarantee fee receivable and received is due to conversion of \$US into INR.

[@] वित्तीय वर्ष 2021-22 में गारंटियों की कुल संख्या 41 के स्थान पर 43 दर्शाई गई थी और अब 2022-23 में इसमें संशोधन कर दिया गया है।

[@] Total No. of Guarantees was mentioned as 43 Nos. instead of 41 Nos. during the FY 2021-22 and the same has now been amended during 2022-23.

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम Name of Ministry	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि Maximum	वर्ष के आरंभ में बकाया Outstanding	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर) Deletion	वर्ष के ⁻ मांगी राधि Invol	गई गई	वर्ष के अंत में बकाया Outstand-	गारंत कमीश अथवा प Guarai	गन कीस	अन्य तात्विक ब्योरे Other
Name of Ministry	Amount Guaranteed during the	at the beginning of the year	during the year	during the year (Other	duri the y	ng	ing at the end of the year	Commi or Fe	ssion	material details
	year	ane year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 ड़ रुपए में) of rupees)
सड़क परिवहन और राजमार MINISTRY OF ROAD	र्मित्रालय									
TRANSPORT AND HIGH नवीन और नवीकरणीय ऊज	(1)	385.12 (1)	_	72.72	_	_	312.40 (1)	0.96	0.96	_
MINISTRY OF NEW ANI RENEWABLE ENERGY	13984.80 (17)	##12183.95 (15)	1800.85 (2)	1350.27 (2)	_	_	12634.53 (15)	202.50	202.50	_
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	310.51 (2)	310.51 (2)	_	^7.56	_	_	302.95 (2)	0.89	0.89	_

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AI वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	657.08	@@428.40	228.68	_	_	_	657.08	4.28	#6.57	_
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	(1)	(1)					(1)			
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	871.73 (4)	871.73 (4)	_	106.59 (1)	_	_	765.14 (3)	9.74	9.74	_
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	9464.90 (2)	7842.30 (2)	^^1622.60	@494.26	_	_	8970.64 (2)	100.41	100.41	_

[^] विनिमय दर में बदलाव के कारण।

[^] Due to exchange rate variation.

^{# 2022-23} में प्राप्ति योग्य ₹ 4.28 करोड की राशि प्राप्त हो गई और 2021-22 में लेखाबद की गई और 2023-24 में प्राप्ति योग्य ₹ 6.57 करोड 2022-23 में प्राप्त हो गए।

^{# ₹ 4.28} Crore Guarantee fee receivable in 2022-23 received and accounted in 2021-22 and ₹ 6.57 Crore is Guarantee Fee receivable in 2023-24 received in 2022-23.

[^] वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त किया गया ₹ 403.47 करोड़ का अतिरिक्त वितरण और विनिमय दर में परिवर्तन शामिल है।

[\]text{\text{Includes} additional disbursement of Rs.403.47 crore during FY 2022-23 and exchange rate variation.

[@] वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राशि चुकाई गई।

Amount repaid during FY 2022-23.

^{@@} पिछले विवरण में अनजाने में वास्तविक रूप में आहरित किए गए ₹ 428.40 करोड़ के ऋण के स्थान पर अधिकतम गारंटी राशि ₹ 1054.00 करोड़ दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मौजूदा विवरण में उसे ठीक कर दिया गया है।

^{@@} In earlier statement inadvertently maximum Guarantee amount of ₹ 1054.00 crore has been taken instead of the actual loan drawn of ₹ 428.40 crore. The same has been rectified in the current statement of FY 2022-23.

^{##} वित्तीय वर्ष 2019-20 में कालम सं. (5) में ₹ (–) 423.03 करोड़ के स्थान पर अनजाने में ₹ 423.03 करोड़ की राशि को लोपन में रख दिया गया था। ₹ 0.18 करोड़ का अन्य अंतर राशियों को पूर्णांकित किए जाने के कारण हुआ।

^{##} During Financial Year 2019-20 amount of ₹423.03 crore was taken in deletion column (No.5) instead of ₹(-)423.03 crore inadvertently. Further difference of ₹0.18 crore was due to rounding off of figures.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के [.] मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा प	शन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Involution duri	ng	Outstanding at the end of the year	Guara Commi or Fo	ssion	Other material details
	year	the year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									,	ड़ रुपए में) of rupees)

- (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के संबंध में बैंकों को दी गई प्रति—गारंटियाँ :—
- (iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

— शून्य / NIL —

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:-
- (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेत् दी गई निष्पादन गारंटियां:--
- (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेत् दी गई निष्पादन गारंटियां :--
- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—श्रन्य / NIL —

(viii) कोई अन्य -

(viii) Any Other: —

—- शून्य / NIL —

- * विदेश मंत्रालय ने बंगलादेश और नेपाल में परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए द्विपक्षीय वचनबद्धता के रूप में इन देशों के लिए रियायती दर पर ऋण व्यवस्था चालू की है। एलओसी भारत सरकार के एक विनिर्दिष्ट संस्था, जिसका नाम एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया है, के जिरए शुरू की है। प्राप्तकर्ता सरकार से किसी गलती होने की स्थिति में एक्सिम बैंक को बचाव के रूप में गारंटी मुहैया कराई गई है। अतः एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया से ऋण व्यवस्था के लिए कोई गारंटी शुल्क अथवा कमीशन नहीं लिया गया है क्योंकि भारत सरकार द्वारा एक्सिम बैंक को ऋण प्राप्तकर्ता सरकार को रियायती ऋण देने के लिए गारंटी दी गई है।
- * MEA has extended Lines of Credit to Bangladesh and Nepal at a concessional rate as a bilateral commitment for development assistance projects in these countries. The LOCs are extended through a Government of India designated institution, namely Exim Bank of India. The guarantee is provided to Exim Bank as a cushion against the unlikely event of a default from the recipient Government. Hence no guarantee fee or commission is charged on Lines of Credit from the Exim Bank of India as the guarantee is given by the Government of India to Exim Bank to offer concessional finance to borrowing Government.
- ** विनिमय दर में बदलाव के कारण।
- ** Due to exchange rate variation.

[#] गारंटियों के विवरण पहले भूलवश वर्ग—III में दर्शाए गए थे। अब इसमें सुधार कर दिया गया है और अब इन्हें लेखापरीक्षा तथा वित्त मंत्रालय के निदेश के अनुसार वर्ग—VI के अंतर्गत दर्शाया गया है।

[#] The details of the Guarantees were shown earlier inadvertently under Class-III. Now it has been rectified and shown under Class-VI as per direction of Audit and Ministry of Finance.

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–I)

GUARANTEESGIVENBYGOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23— के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	वर्ष के व मांगी राष्ट्रि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा र्फ	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	इतर) Deletion during the year (Other than invoked	Invoked the y उन्मोचित	0	Outstanding at the end of the year	Guarant Commiss or Fee	sion
	year			during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपए में) rore of rupees)

क्षेत्र — (i) — विद्युत Sector - (i) - Power

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 7000.00 7000.00 — — — 7000.00 70.00 140.00 (2) (2)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	39862.04 (41)	36697.18 (41)	3164.85	3394.92	_	_	36467.11 (41)	445.39	445.39
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्राल MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	ाय 13984.80 (17)	12183.95 (15)	1800.85 (2)	1350.27 (2)	_	_	12634.53 (15)	202.50	202.50
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	615.48 (3)	578.37 (3)	37.11	35.56	_	_	579.92 (3)	5.03	5.03

क्षेत्र - (ii) - सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
कृषि और किसान कल्याण विभाग
Department of
Agriculture and 39000.00 — — — 39000.00 — — —
Farmers Welfare (1) (1) (1)

क्षेत्र — (iii) — सिंचाई Sector - (iii) - Irrigation

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23:

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के दौरान	वर्ष के व		वर्ष के अंत	गारंटी कर	
	गारंटीकृत	आरंभ	दौरान	विलोपन (वर्ष	मांगी	•	में बकाया	अथवा प्र	गेस
	अधिकतम	में बकाया	परिवर्धन	के दौरान	राशि	T			
	राशि			मांगी गई राशि वे	5				
				इतर)					
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount	Outstanding at the	Additions during the	Deletion during the	Invoked	0	Outstanding at the end	Guaran Commis	
Department	Guaranteed	beginning of	year	year (Other		the year		or Fe	
	during the	the year	J	than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित	of the year		
	year			during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
				year)		Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(करोड़ रुपए में)
								(In a	rore of rupees)

(In crore of rupees)

वर्ग — (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
आर्थिक कार्य विभाग
Department of Financial Services 104.85 82.21 22.64 1.52 — — 103.33 1.26 1.26

क्षेत्र - (iv) - सड्क और परिवहन

Sector - (iv) - Road and Transport

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:— शून्य

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:

— খুন্য / NIL —

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

रेल मत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	9464.90 (2)	7842.30 (2)	1622.60	494.26	_	_	8970.64 (2)	100.41	100.41
नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	22548.84 (6)	22547.25 (6)	1.59	7123.83 (2)	_	_	15425.01 (4)	2.01	2.01
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPOR AND HIGHWAYS	385.12 (1)	385.12 (1)	_	72.72	_	_	312.40 (1)	0.96	0.96
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	46.33 (1)	46.12 (1)	0.21	5.50	_	_	40.83	_	_
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	811.45 (2)	811.45 (2)	_	47.84	_	_	763.61 (2)	9.74	9.74

(viii) कोई अन्य -

(viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

क्षेत्र — (v) — राज्य वित्तीय निगम Sector - (v) - State Financial Corporations

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23:

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	वर्ष के व मांगी राष्टि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा र्फ	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	इतर) Deletion during the year (Other than invoked	Invoked the y उन्मोचित	•	Outstanding at the end of the year	Guaran Commiss or Fed	sion
	year	·		during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपए में) crore of rupees)

क्षेत्र — (vi) — शहरी विकास और आवासन Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	60.28 (2)	60.28 (2)	_	58.75 (1)	_	_	1.53 (1)	_	_
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	16685.84	12896.54	3789.30	4379.03	_	_	12306.81	61.57	85.45
	(3)	(3)		(1)			(2)		

क्षेत्र – (vii) – अन्य अवसंरचना

Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग — (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग	11470	11420	0.21	24.27			00.24		
Department of Economic Affairs	114.60	114.29	0.31	24.26	_	_	90.34	_	_
	(1)	(1)					(1)		
आर्थिक कार्य विभाग									
Department of Financial Services	493.23	485.72	7.51	39.44	_	_	453.79	5.92	7.06
•	(5)	(5)					(5)		
क्षेत्र — (viii) — कोई अन्य	(-)								

क्षेत्र — (viii) — कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–I)–*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23:—

मंत्रालय / विभाग का नाम Name of Ministry/ Department	वर्ष के दौरान वर्ष के गारंटीकृत आरंभ अधिकतम में बकाया राशि Maximum Outstanding Amount at the Guaranteed beginning of		वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर) Deletion during the year (Other	Invoked during the year		वर्ष के अंत में बकाया Outstanding at the end of the year	गारंटी कमीशन अथवा फीस Guarantee Commission or Fee	
	during the year	the year	,	than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	j	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (In 6	10 (करोड़ रुपए में) crore of rupees)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	C 9495.00 (1)	9495.00 (1)	_	3495.00	_	_	6000.00	_	_
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE A उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		597.31 (1)	748.84	_	_		1346.15 (1)	5.97	5.97
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	1195.83 (4)	1180.11 (4)	15.72	_	_		1195.83 (4)	97.53	_

वित्त मंत्रालय									
MINISTRY OF FINANCE									
वित्तीय सेवाएँ विभाग									
Department of Financial Services	48319.50	46744.65	1574.85	35152.10	_	_	13167.40	83.41	77.06
	(74)	(74)		(62)			(12)		
राजस्व विभाग									
Department of Revenue	0.01	0.01	_	_	_	_	0.01	_	
	(1)	(1)					(1)		

वर्ग — (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जीं, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

corporations and financial institut	ions: -								
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	37000.00 (5)	37000.00 (5)	_	300.00 (1)	_	_	36700.00 (4)	_	_
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIO AND INFORMATION TECHNOL दूरसंचार विभाग	ONS								
Department of	37608.67	22513.97	15094.70	1005.00	_	_	36603.67	221.19	211.50
Telecommunications	(12)	(10)	(2)	(1)			(11)		
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS रसायन और पेट्रो—रसायन विभाग									
Department of Chemical & Petrochemical	_	_		_	_	_	_	8.50	_
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग									
Department of Financial Services	3034.50 (1)	_	3034.50 (1)	_	_	_	3034.50 (1)	1.47	1.49

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1) -- Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23:-

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत गारंटी व में बकाया अथवा		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	इतर) Deletion during the year (Other than invoked	Invoked the y उन्मोचित	•	Outstanding at the end of the year	Guaran Commiss or Fe	sion
1	year	,	4	during the year)	Discharged	Not Discharged	0	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
I	2	3	4	5	6	/	8	9 (In 6	10 (करोड़ रुपए में) crore of rupees)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि को क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:

इस्पात मंत्रालय									
MINISTRY OF STEEL	310.51	310.51	_	7.56	_	_	302.95	0.89	0.89
	(2)	(2)					(2)		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रा	लय								
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेर	इ (एनएसआईसी)								
MINISTRY OF MICRO, SMAL	L 51.38	48.35	3.03	3.29	_	_	48.09	0.19	0.19
AND MEDIUM ENTERPRISES	S (3)	(3)					(3)		
NATIONAL SMALL INDUSTI	RIES								
CORPORATION LIMITED (N	ISIC)								

वित्त	मंत्रालय	
MIN	ISTRY OF FIN	ANCE

210007.04 (358)	188230.96 (210)	21776.08 (148)	138331.96 (39)	4638.27	_	67036.81 (319)	90.69	90.69		
) INDUSTRY										
657.08 (1)	428.40 (1)	228.68	_	_	_	657.08 (1)	4.28	6.57		
वर्ग—(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:— Class-(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —										
78543.14 (8)	70872.36 (8)	7670.78	65991.68 (1)	_	_	12551.46 (7)	_	_		
	(358) O INDUSTRY 657.08 (1) ों को दिए गए दें given for fulf 78543.14	(358) (210) O INDUSTRY 657.08 428.40 (1) (1) if को दिए गए ठेकों / परियोजन given for fulfilment of control 78543.14 70872.36	(358) (210) (148) DINDUSTRY 657.08 428.40 228.68 (1) (1) पेरियोजनाओं को पूरा कर given for fulfilment of contracts/projects a	(358) (210) (148) (39) O INDUSTRY 657.08 428.40 228.68 — (1) (1) तों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्ट given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian	(358) (210) (148) (39) DINDUSTRY 657.08 428.40 228.68 — — (1) (1) तों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:— given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in fo	(358) (210) (148) (39) OINDUSTRY 657.08 428.40 228.68 — — — — (1) (1) तों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:— given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countrie 78543.14 70872.36 7670.78 65991.68 — —	(358) (210) (148) (39) (319) DINDUSTRY 657.08 428.40 228.68 — — 657.08 (1) (1) (1) ों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:— given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: — 78543.14 70872.36 7670.78 65991.68 — — 12551.46	(358) (210) (148) (39) (319) DINDUSTRY 657.08 428.40 228.68 — — 657.08 4.28 (1) (1) (1) (1) (1) ों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:— given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: — 78543.14 70872.36 7670.78 65991.68 — — 12551.46 —		

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–I)–*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.
(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :--

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23: -

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम,यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी सिनियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि	क्या गारंटी मोचन	गारंटी	गारंटी	वित्तीय	स्वतः नामे	क्या सरकार के	सरकार में	अन्य
	कोई नियत	अथवा आरक्षित	मोचन अथवा	मोचन अथवा	विवरणियों	डाले जाने की	बजट दस्तावेजों	गारंटियों के	महत्वपूर्ण
	की गई है	निधि मौजूद है और	आरक्षित	आरक्षित	की तारीख के	व्यवस्था और	में गारंटियों	लिए ट्रैकिंग	ब्योरे
	जिसके भीतर	वर्ष की शुरुआत में	निधि में	निधि में	अनुसार भारतीय	संरचनात्मक	के ब्योरे	यूनिट अथवा	
	सरकार गारंटी	निधि में उपलब्ध	से की गई	वर्ष के अंत	रुपयों के रूप	भुगतान व्यवस्था,	शामिल हैं	नामोद्दिष्ट	
	दे सकती है	शेष राशि के	अदायगियां	में शेष राशि	में मौजूद बाह्य	यदि कोई हो,		प्राधिकारियों	
		प्रकटीकरण के			विदेशीं मुद्रा	तो उससे		के ब्योरे	
		साथ इसका ब्योरा			गारंटियों के ब्योरे	संबंधित ब्योरे			
Name of the Ministry/	Limit, if any fixed within	Whether guarantee	Any	Balance at the end of	Details of	Details	Whether	Details of the tracking	Other material
Department	which the	Redemption or Reserve Fund	payments made	the year	subsisting external foreign	concerning Automatic	the budget documents	unit or	details
	Government	exists and its	out of	made in	currency	debit	of the	designated	
	may give	details including disclosure of	guarantee redemption	guarantee redemption	guarantees in terms of Indian	Mechanism and	Government contain	authority for Guarantees	
	guarantee	balance available	or Reserve	or Reserve	rupees on the	structured	details of	in the	
		in the fund at	fund	Fund	date of	payment	Guarantees	Government	
		the beginning of the year			Financial Statments	arrangements,			
	(ক)	of the year	(ख)		Statments (ग)	if any (ঘ)	(ভ)	(च)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	(4)		(0)		(0)	(4)	(-)		इ रुपए में)
								(In crore of	
कृषि और किसान कल्याण म	त्रालय	[‡] शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्यं	हाँ	एमपीएस अनुभाग,	शून्य
कृषि और किसान कल्याण		κ.	ζ.	ζ.	κ.	ζ.	ζ.	कृषि, सहकारिता	ζ.
विभाग								एवं किसान कल्याण	
ભિયામ								वेभाग का सहकारिता	
							10		
MINISTRY OF ACRICIN	TUDE AND							प्रभाग, नई दिल्ली	
MINISTRY OF AGRICUL' FARMERS WELFARE	TURE AND	į Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	MPS Section,	Nil
Department of Agriculture as		1111	1411	MI	1111	1111		epartment of Agricult	
Farmers Welfare								ion and Farmers We	
								Division of DA	AC,
								New Delhi	

वित्त मत्रालय	
MINISTRY OF	FINANCE

राजस्व विभाग Department of Revenue	#	शून्य Nil	_						
वित्तीय सेवाएं विभाग		नहीं	नहीं	लागू नहीं	13167.40	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, डीईए	
Department of Financial Services	#	No	No	N.A.	13167.40	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ	अवर सचिव (एफसीआई), कृषि भवन, नई दिल्ली	_
MINISTRY OF CONSUMER, AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	No	Yes in DDG	US (FCI), Krishi Bhawan,	_
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND IN	DUSTRY								
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	डीपीआईआईटी (एमएसएमई)	शून्य
Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)	#	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	DPIIT MSME	Nil
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS									
औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	#	नहीं No	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	ਗੱ Yes	निदेशक (पीएसयू) आ Dir (PSU)	ईडीपीएल IDPL

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा गारंटियों के मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—
(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	91 uno y eur	(ख)		(ग)	(ঘ)	(ङ)	(च)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								(करोड़	इ रुपए में)
								(In crore of	of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	#	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	हाँ नि	देशक (सीएच-II)	
Department of Chemical &	#	No	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	Dir (CH-II)	_
Petrochemical									

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE									
वित्तीय सेवाएं विभाग		नहीं	नहीं	लागू नहीं	3034.50	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, डीईए	
Department of Financial Services	#	No	No	N.A.	3034.50	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	#	शून्य Nil	नहीं No	शून्य Nil	7000.00 7000.00	शून्य Nil	हाँ Yes	विद्युत मंत्रालय Ministry of Power	शून्य Nil
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हॉ	हॉ	अवर सचिव (एफसीआई) एवं अवर सचिव (सीडब्ल्यूसी)	_
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	Yes	Yes in DDG	US (FCI) and US (CWC)	_
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	#	विभाग द्वारा ऐसी को	ई निधि नहीं	बनाई गई है	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	हॉ	उप महानिदेशक (एसयू) के अधीन कारखाना अनुभाग, दूरसंचार विभाग, संचार भवन	-
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY Department of Telecommunications	#	No such	n fund create	d by the Deptt	Does not arise	Does not arise	Yes	Factory Section under Dy. Dir. General (PM), DoT, Sanchar Bhawan	_

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–I)–*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योर
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	साथ इसका ब्योरा Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	of the year	(ख)		(ग)	(ਬ)	(ভ)	(च)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								(करोड्	, ,
								(In crore of	of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:--
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

नागर विमानन मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	32.97	हाँ	हाँ	वित्त-। अनुभाग,	_
							रार्ज	वि गांधी भवन, नागर	
								विमानन मंत्रालय	
MINISTRY OF CIVIL AVIATION	#	No	NA	NA	32.97	Yes	Yes	Finance-I	_
								Section, Rajiv	
								Gandhi Bhawan,	
							1	M/o Civil Aviation	

कोयला मंत्रालय	#	362.90	शून्य	367.23	579.92	शून्य	हाँ	निदेशक (वित्त) कोयला मंत्रालय	_	,
MINISTRY OF COAL	#	362.90	Nil	367.23	579.92	Nil	Yes	Director (Finance) M/o Coal	_	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	312.40	शून्य	हाँ	महानिदेशक (सड़क परिवहन और	शून्य	
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	#	Nil	Nil	Nil	312.40	Nil	Yes	राजमार्ग), नई दिल्ली DG (RTH), New Delhi	Nil	
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	#	शून्य Nil	नहीं No	शून्य Nil	36467.11 36467.11	शून्य Nil	हाँ Yes	विद्युत मंत्रालय Ministry of Power	शून्य Nil	
वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	#	हॉ 7621.79	नहीं	8621.79	12437.98	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव(बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	_	
MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	#	Yes 7621.79	No	8621.79	12437.98	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_	
वित्तीय सेवाएं विभाग		शून्य	नहीं	शून्य	67593.93	लागू नहीं	हाँ र	नंयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग		
Department of Financial Services	#	Nil	No	Nil	67593.93	N.A.	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनए	# सआईसी)	शून्य	शून्य	शून्य	48.09	शून्य	नहीं	एनएसआईसी एमएसएमई	शून्य	
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED (NSIC)	#	Nil	Nil	Nil	48.09	Nil	No	NSIC MSME	Nil	

73

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—
(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	or the year	(ख)		(ग)	(ঘ)	(ভ)	(च)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								(करोड्	इ रुपए में)
								(In crore of	of rupees)
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	#	# नहीं	नही	नहीं	12634.53	नहीं	-	श्री तरूण सिंह और एच.सी. बोरा, वैज्ञानि एमएनआरई, लोदी	— नेक 'घ'
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	‡	# No	No	No	12634.53	No		रोड,नई दिल्ली-03 Sh.Tarun Singh Borah, Secientist 'D', MNRE, Lodi Road, New Delhi-03	_

इस्पात मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	302.95	नहीं	हाँ मंत्रालय में संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के	_
MINISTRY OF STEEL	#	Nil	Nil	Nil	302.95	No	उपक्रम का परियोजना अनुभाग Yes Project Section of the concerned PSU in the Ministry	_
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND I	NDUSTRY							
वाणिज्य विभाग	#	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं	हाँ अवर सचिव (आईएफडी वाणिज्य विभाग) नई दिल्ली	_
Department of Commerce	#	No	No	No	No	NIL	Yes US (IFD Department of Commerce) New Delhi.	_
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	#	शून्य	नहीं	_	765.14	लागू नहीं	हाँ एए (हुडको) एवं दिल्ली प्रभाग (एनसीआरपीबी)	_
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	#	Nil	No	_	765.14	NA	Yes AA(HUDCO) & Delhi Division (NCRPB)	_

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—1)—समाप्त GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Concld. (ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:— (b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2022-23: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	or the year	(ख)		(ग)	(ঘ)	(ভ)	(ঘ)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								(करोर	ड़ रुपए में)
								(In crore of	of rupees)
रेल मंत्रालय	#	‡ लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	शून्य	लागू नही
MINISTRY OF RAILWAYS	#	‡ NA	NA	NA	NA	NA	Yes	NIL	NA

⁽iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति—गारंटियां: —

⁽iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:-
- (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

—शून्य– -Nil-

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :--

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

विदेश मंत्रालय	#	नहीं	शून्य	लागू नहीं	12551.46	शून्य	नहीं	डीपीए—I,	_
								विदेश मंत्रालय	
MINISTRY OF EXTERNAL									
AFFAIRS	#	No	Nil	NA	12551.46	Nil	No	DPA-I, MEA	_

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेत् दी गई निष्पादन गारंटियां: -
- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:

—शून्य— -Nil-

(viii) कोई अन्य :-

(viii) Any Other: —

—शून्य– -Nil-

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।

[#] Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.